न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 32/2018

अपीलान्टस	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. बद्रीराम पुत्र श्री पदमाराम 2. छोटाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति माली निवासी–भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला–जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला–जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2018 जो तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 306/2017-18 अनवान सरकार बनाम बद्रीराम वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष कच्छवाहा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 29.08.2019

अपीलान्ट बद्रीराम पुत्र श्री पदमाराम जाति माली निवासी भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को प्रकरण संख्या 306/2017-18 बअनवान सरकार बनाम बद्रीराम वगैरह में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी भोपालगढ ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2104 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर कृषि वर्ष 2074 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्टस को तलब किया। अपीलान्टस ने दिनांक

25.01.2018 को उपस्थित होकर गवाह सबूत व प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा परन्तु कोई अवसर न देकर अपीलान्टस को पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल करने, अपीलार्थी को पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह हेतु सिविल कारावास की सजा देने, अपीलान्ट को जवाब एवं शहादत पेश करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने, अपीलान्टस के खाली आज्ञा सूची पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवा कर बाद में फैसला लिखकर शामिल करने, तहसीलदार द्वारा तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बहुत ही हाई हेण्डेड एक्शन में करने, अपीलान्टस द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करवाया गया तथा सरकारी भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किये अतिक्रमण को रोकने हेतु केवल सूखे पत्थरों की दीवार बनाई थी जिसे भी मौके से अब हटा लिया गया इसके बावजूद अपीलान्टस को कारावास भेजने का आदेश देने, वर्तमान में भूमि मौके पर खाली पड़ी है वहां अपीलान्टस का कोई कब्जा नहीं है परन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा भविष्य मे इस खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण किये जाने की प्रबल सम्भावना होने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2018 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष कच्छवाहा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 2104 रकबा 18.07 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्ट द्वारा जो पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व ग्राम भोपालगढ (जेबी) के खसरा नम्बर 2104 रकबा 18.07 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्टस का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्टस ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है या 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्टस नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार भोपालगढ को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर